

नम्बर
अहकाम
हुकम कीम
में जारी

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

अतः समस्त शपथ पत्र शा.फा. किये जाये
हैं। वकील प्रार्थी अगेर कोई साक्ष्य दस्त
पेश नही करना चाहते हैं, आज ही प्र.फर
पर बहस काने का निवेदन किया। प्र.फर
पर बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली
वाले आदेश प्र.फर दि. 15/02/2022
को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
बड़ीसादड़ी जि. चिनाहद

15/02/22

पत्रावली वाले आदेश पेश हुई। प्रस्तुत
प्र.फर शपथ पत्र व अधिकारी, तदधीनदार
बनिकाडकी की रिपोर्ट एवं अमान, पत्रावली के
सेलम राजस्व रिपोर्ट का डिवलोकन किया। जिस
पर कलम किया जिससे स्पष्ट है कि लिखा
पदी दान नाम से वत 2020 दान कर्ता किसान
पिता नाम्बु डोंगी द्वारा लिखित शेकलाल डोंगी
के अनुसार प्रकरण गुलत अदि पूर्व क्र.नं. 1946
रकबा 1-13 बीघा अदि जिसके वर्तमान रकबा 2980
रकबा 0.36 है. किसान पिता नाम्बु डोंगी द्वारा प्र
पत्र अनुदार दान की गई। लिखा पदी में यह
अंकन किया कि यह अदि डोंगी समाज को भेट
कर दी है खातेदारी में डोंगी समाज के नाम
पर रहेगी जिसका पो भराई का काम डोंगी
समाज करेगा। जिसका राजस्व रिपोर्ट के
इसल वरु डोंगी समाज पो भराई
अनुदार कला था परन्तु रिपोर्ट में अंकन
जांवाई पो भराई दर्ज किया। जो गलत है,
जो दुरुस्त भोग्य है, सकु विरलेषण पत्रा.
का डिवलोकन -



तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुकम की में जारी क्रमांक / निमित्त
---------------	-----------------------------------	---

आदेश दिया जाता है कि कोठा कोठेड़ा
 की आराजी नम्बर 2980 खस 0.36 है
 भूमि में दर्ज गोवाड, प्याडु अराड सापेजिक
 पेटे के स्थान पर डोगी समाज सदस्य
 पो अराड राजस्व रिकॉर्ड में अंकन
 किया जावे। इसी आशय की तहरीर
 तहसीलदार कोटाडोली को पालनार्थ
 भेजी जावे।

निम्न सरे इजलास लिखाया
 जाकर दुगारा गया।

पत्रावली फंडल शुक्रा होकर
 मन्का से कर हो

उषाण्ड अधिकारी
 बड़ीसादड़ी जि. चित्तोड़गढ़